न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 65/2024 बउनवानी घनश्याम हरिजन बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर पुत्र श्री बाबूलाल हरिजन निवासी ग्राम शेषा तहसील मलारना डूॅगर

GCMS No-2024/158

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
26.12.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 11.10.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *प्रार्थी कें पिता बाबूलाल पुत्र नानगा हरिजन को ग्राम दिवाडा मे आवंटित भूमि ख0न0 1494/5 आवंटन आदेश दिनांक 13.6.1979, कब्जा रिपोर्ट, नई पुरानी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सहित जमा करवायी राशि 375 रू की रसीद की सूचना सहित कुल 5 बिन्दुओ की सूचना* " उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.16(1)/आरटीआई/अपील/2024/504 दिनांक 26.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2024 में चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार मलारना डूॅगर से होने के कारण उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर के पत्रांक 486 दिनांक 9.12.2024 से तहसीलदार मलारना डूॅगर को अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐ उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन है कि उक्त आवंटित भूमि के नामा0 की नकल दिलवायी जावे । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.10.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचनाओ का संबंध तहसीलदार मलारना डूॅगर/जिला अभिलेखागार से होने के कारण अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर के कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचनाऐ तहसीलदार मलारना डूॅगर/जिला अभिलेखागार द्वारा अन्य अपील संख्या 66/2024 एवं 62/2024 मे अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 18:03:12 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner